प्रपत्र पी0 डी0–33

(नियम 1(3) और 2(3) देखिये)

आसवनी की स्थापना के लिए लाइसेंस

लाइसेंसधारी सर्वश्री डी0 एस0 एम0 शुगर मिल लि0, रजपुरा, तहसील गुन्नौर, जनपद–बदायूँ को रुपया 1,00,000/–(केवल एक लाख रूपये) की लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर एक्साइज मैनुअल खण्ड–1 के अध्याय 9 में अन्तर्विष्ट नियम के अन्तर्गत 600 (छः सौ) लाख लीटर वार्षिक अल्कोहल उत्पादन क्षमता, जिसके अन्तर्गत 600 (छः सौ) लाख लीटर वार्षिक शोधित आसव, 600 (छः सौ) लाख लीटर वार्षिक ई0एन0ए0 एवं 600 (छः सौ) लाख लीटर आब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट स्थापित करने तथा उक्त क्षमता का 80 प्रतिशत अर्थात 480 (चार सौ अस्सी) लाख लीटर प्रतिवर्ष की सीमा तक पेय मदिरा से सम्बद्ध नियमों, अधोलिखित प्रतिबन्धों तथा ऐसे अन्य नियमों के अधीन रहते हुए जिन्हें आबकारी आयुक्त तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर आबकारी राजस्व को सुनिश्चित करने तथा अल्कोहल के उत्पादन के निर्माण को विनियमित करने के लिए बनाया जाय, रजपुरा, तहसील गुन्नौर, जनपद–बदायूँ, उत्तर प्रदेश में आसवनी की स्थापना करने के लिए उसको प्राधिकृत करते हुए एतद्द्वारा लाइसेंस दिया जाता है।

1– स्थापित होने वाली इस आसवनी में 600 (छः सौ) लाख लीटर वार्षिक क्षमता के अन्तर्गत 480 (चार सौ अस्सी) लाख लीटर प्रतिवर्ष की सीमा तक ही पेय मदिरा का निर्माण किया जायेगा। शेष 120 (एक सौ बीस) लाख लीटर प्रतिवर्ष औद्योगिक प्रयोजन हेतु अनुमन्य होगी।

2– उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

3– आई0 डी0 एण्ड आर0 ऐक्ट, 1951 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं इकाई पूर्ण करायेगी।

4– सभी प्लान्ट/मशीनरी, टैंक, रिसीवर टैंक आदि की स्थापना अनुमोदित नील पत्र के अनुसार की जायेगी।

5– रिसीवर रूम को ऊपर से पूरा कवर्ड बनाया जायेगा तथा उसमें एक दरवाजा रखा जायेगा।

6– शीरा टैंकों की गेजिंग इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 23517/दस–शीरा निधि(83)/91 दिनांक 27–12–1991 के अनुसार आयतन में तैयार किया जायेगा तथा गेज चार्ट इस कार्यालय से अनुमोदित कराया जायेगा।

7– प्री–फरमेन्टर/फरमेन्टर, अल्कोहल संचय टैंकों/रिसीवर्स की नियमानुसार गेजिंग करायी जायेगी तथा गेज चार्ट इस कार्यालय से अनुमोदित कराये जायेंगें।

8– टैंकों में नियमानुसार डिप होल, मेन होल तथा चढ़ने के लिये सीढ़ी की व्यवस्था की जायेगी।

9– पेय मदिरा उत्पादन करने के निमित्त आसवक उक्त सेक्शन विस्तृत नील–पत्र एवं स्थापित किये जाने वाले प्लान्ट, मशीनरी का विवरण एक सप्ताह में प्रस्तुत कर देंगे।

10– प्रस्तावित स्थापित किये जाने वाले शीरा संचय टैंकों के स्थान की लोड बियरिंग कैपिसिटी आफ स्वायल का विवरण एक माह में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

11– आसवनी स्थापना के पश्चात आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी से निरीक्षण कराया जायेगा, निरीक्षणोपरान्त सभी चीजें सही पाये जाने की दशा में इस प्लान्ट/मशीनरी को चलाये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये पी0डी0–2 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त वर्णित किन्हीं नियमों/प्रतिबन्धों का व्यतिक्रम करने पर ऐसी अन्य शास्तियों जिन्हें संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन विहित किया जाय,के अतिरिक्त लाइसेंस समपहृत किया जायेगा।

इस लाइसेंस की वैधता अवधि लाइसेंस निर्गमन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस की अवधि को बढ़ाने के लिए उसकी अवधि समाप्त होने से कम से कम तीस दिन पूर्व आवेदन करना होगा।

(हिमांशु कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद:
दिनांक: 7.8.07